# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | बद्री बनाम रुपाराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 13/04/2026 | 1822/2025<br>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो। | |
| 15/04/2026 | आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा-2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की आराजी भूमि नम्बर 291 रकबा 1.3024, खसरा नं. 293 रकबा 2.1497 भूमि वाके ग्राम डाबिच मालियान पटवार हल्का डाबिच, भू अभि.नि.क्षेत्र डाबिच तहसील फागी जिला जयपुर में पूर्व दिशा में सडक स्थित है, जिस पर से होकर आने जाने के मार्ग के लिये प्रार्थी खसरा नं. 289 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, मूल खसरा नम्बर 292 के विभक्त खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, 292/2 रकबा 0.5690 हैक्टेयर की भूमि से अपनी खातेदारी में आने जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता जिसे नक्शा ट्रेस में मार्क ए, बी, सी, डी, ई. एफ. जी. एच. आई. जे. बरंग लाल से दर्शाया है। प्रार्थी की खातेदारी 291 रकबा 1.3024, खसरा नं. 293 रकबा 2.1497 के पूर्व दिशा की ओर सडक स्थित है। जो प्रतिपक्षी खातेदारी में से होकर प्रार्थी की खातेदारी में जोत हेतु जाने आने के लिये उपयुक्त है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं खुलता है। चारों तरफ कोई, नियमित मार्ग नहीं है। खसरा नं. 292/1 व 292/2 के लगवा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नं. 291 स्थित है जो कि खसरा नं. 293 में पहुँच हेतु खसरा नं. 292/1 व 292/2 मे पहुँचा जा सकता है। आज से पूर्व कोई कहीं पर भी जोत हेतु आ जा सकता धा लेकिन प्रतिपक्षी ने जोत के नियमित रास्ते (मार्ग) पर आने जाने में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी जोत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। प्रस्तावित मार्ग को संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल से एवं मार्क ए, बी, सी, डी, ई. एफ. जी. एच. आई. जे. से सुविधा के लिये दर्शाया गया है। प्रार्थी प्रतिपक्षी को रास्ते की एवज में मुआवजा राशि जो श्रीमान तय फरमाये प्रार्थी अदा करने को तैयार है तथा उपरोक्त प्रतिपक्षी के खसरा नम्बर 289 रकबा 0.1138 हैक्टेयर, मूल खसरा नम्बर 292 के विभक्त खसरा नम्बर 292/1 रकबा 0.5690 हैक्टेयर, 292/2 रकबा 0.5690 हैक्टेयर के खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ता बाद जाँच प्रदान किया जाना न्यायोचित है। पक्षकारान व आराजी मान्ध न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को सुनवाई का एवं प्रकरण का निस्तारण करने का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | बद्री बनाम रुपाराम<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 1822/2025 | | |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा-2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 4 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी संख्या 5 लगा. 09 की और से अधिवक्ता श्री सीताराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया | तत्पश्चात तहसीलदार माधोराजपुरा द्वारा रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) की उप धारा-2 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर समायत कर निर्णय दिनांक 09/07/2025 पारित करते हुये रास्ता कायमी के आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार माधोराजपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का एवं प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण करते हुये अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | प्रत्येक खातेदार को उनकी खाते की आराजीयात में उन्नत कृषि हेतु कृषि साधनों की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु रिकार्डेड रास्ता कायम किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुसरण में आवश्यक होता है, ऐसेमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त प्रतीत होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक नही समझा जाता है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/07/2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर